उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010

संख्या- 71 /02/कम्प्यूटर अनु0(बारह)/2023-24/06-परीक्षा/2022

लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2024

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-06-परीक्षा/2022, वन दरोगा मुख्य परीक्षा(प्रा0अ0प0-2021)/06 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों के सापेक्ष शारीरिक मानक परीक्षण में सफल एवं अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 1402 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची दिनांक 02.03.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी। तदुपरांत उक्त 1402 अभ्यर्थियों का अर्हता/अभिलेख परीक्षण दिनांक 21.05.2024 से दिनांक 30.05.2024 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था।

सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-70/2024 शालिनी पाण्डेय प्रति उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थी शालिनी पाण्डेय, अनुक्रमांक-00010710 का शारीरिक मानक परीक्षण दिनांक 25.08.2024 को परीक्षा केंद्र गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ में आयोजित किया गया था।

मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 18.09.2024 द्वारा अभ्यर्थी शालिनी पाण्डेय, अनुक्रमांक-00010710 को प्रश्नगत पद के लिये आयोजित उक्त शारीरिक मानक परीक्षण में सफल तथा अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह घोषित किया गया है।

सूच्य है कि अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थी का उक्त परिणाम अन्तिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अन्तिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन सम्बन्धी अन्तिम परिणाम अर्हता/ अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथासमय घोषित किया जायेगा।

सूच्य है कि उक्त अभ्यर्थी का अर्हता/अभिलेख परीक्षण दिनांक 25.09.2024 को पूर्वान्ह 10:00 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।

उक्त के साथ ही अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष अपने समस्त अंक पत्र व प्रमाण-पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रतियों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

18/09/2024

(अवनीश सक्सेना)
सचिव।